



वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल, कटिहार



DOC NO/BRPNL/KTR/C011/ 1732

Dt. 05-10-2018

प्रेस विज्ञप्ति

चूँकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को यह प्रतीत होता है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अंचल के मौजा-शंकरपुर थाना नं0- 07 में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् फारबिसगंज प्रखंड के शैफगंज महतवा पथ के 3रें कि0मी0 में निर्मित आर0सी0सी0 पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014/रा0 के अन्तर्गत लिया जाना अपेक्षित है। बिहार रैयती लीज नीति-2014 के तहत उक्त प्रयोजनार्थ सतत् लीज पर भूमि लेने का आदेश जिला पदाधिकारी अररिया के ज्ञापांक 1669/रा0, अररिया, दिनांक- 11.09.2018 द्वारा प्राप्त है।

यह प्रेस विज्ञप्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1440 दिनांक-13.11.2014 (बिहार रैयती लीज नीति 2014) के आलोक में तत्काल मौजा-शंकरपुर, थाना नं0-07 अंचल- फारबिसगंज, जिला-अररिया के निम्न वर्णित भूमि को सतत् लीज पर लिया जाना है। अपर समाहर्ता, अररिया के पत्रांक-1900/रा0, दिनांक-29.09.2018 द्वारा उक्त परियोजना के Alignment पर पड़ने वाले भू-स्वामियों की सूची एवं रकवा जो निम्न रूपेण है। इसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वर्णित भू-स्वामियों को आपत्ति दर्ज करने हेतु सूचना जारी की जाती है।

क्र० सं०	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	सतत् लीज पर ली जाने वाली भूमि का वास्तविक रकवा (एकड़ में)	खतियानी रैयत का नाम	जॉचोपरान्त वर्तमान रैयत/भू-धारी का नाम सतत् लीज पर ली जाने वाली भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शंकरपुर	07	32	421, 422,	0.02 डी0 0.23 डी0	लक्ष्मण मंडल, पिता- तिनकौरी मंडल, साकिन- शंकरपुर	गोपल मंडल, पिता- लक्ष्मण मंडल साकिन- शंकरपुर
2	शंकरपुर	07	33	423	0.14 डी0	लक्ष्मण मंडल, पिता- तिनकौरी मंडल, साकिन- शंकरपुर	लक्ष्मण मंडल, पिता- तिनकौरी मंडल, साकिन- शंकरपुर
3	शंकरपुर	07	55	496	0.09 डी0	गौरी लाल मंडल, पिता- भयलाल मंडल, साकिन- शंकरपुर	मिथलेश कुमार मंडल, पिता- स्व० सुरेश प्रसाद मंडल, साकिन- शंकरपुर
4	शंकरपुर	07	59	495	0.04 डी0	बिहार सरकार	बिहार सरकार

उक्त वर्णित भू-स्वामियों से आपत्ति प्राप्त करने हेतु ग्राम-शंकरपुर पुल स्थल के समीप दिनांक-26.10.2018 को पूर्वाहन 11:00 बजे एक शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें स्थानीय प्रशासन एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, कटिहार के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। संबंधित भू-स्वामी इस शिविर में कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा सकते हैं।

उपर्युक्त भू-स्वामी आपत्ति प्रमण्डलीय कार्यालय तीनगछिया कटिहार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यालय में भी दिनांक-27.10.2018 तक दे सकते हैं। उक्त अवधि के बाद भू-स्वामियों का कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु वरीय परियोजना अभियंता, कटिहार (मो0-8544402464) से सम्पर्क किया जा सकता है।

[Signature]
05.10.18
वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लि0,
कार्य प्रमंडल कटिहार।